

प्रेस नोट दिनांक 14.09.2025 जनपद प्रतापगढ़

थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़

प्रेम-प्रसंग विवाद में युवक की हत्या का पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा
मुख्य आरोपी सहित वांछित 25-25 हजार रुपये के 02 इनामी अभियुक्त गिरफ्तार
कोतवाली देहात पुलिस व स्पेशल टीम प्रतापगढ़ की संयुक्त बड़ी सफलता
पुलिस अधीक्षक डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में प्रभावी कार्रवाई
घटना से जुड़े पूर्व में 03 अभियुक्त पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं

घटना का संक्षिप्त विवरण-

प्रेम-प्रसंग से नाराज होकर पुनीत पुत्र विनोद कुमार सरोज निवासी ग्राम नमक सायर थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़ ने अपने साथियों कुलदीप मुसहर, निसार एवं बाकेलाल उर्फ रमेश के साथ मिलकर युवक की हत्या की घटना को अंजाम दिया। जिसके संबंध में थाना कोतवाली देहात में मु०अ०सं०- 231/25 धारा 137(2)/140(2)/103 (1)/238/3(5) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्यवेक्षण में दिनांक 13.09.2025 को प्रभारी निरीक्षक विजयकान्त सत्यार्थी मय हमराह उ०नि० अभिषेक वर्मा, उ०नि० जयकिशन, का० विश्वदीप, का० दीपक राजपूत, का० आशुतोष तिवारी, का० किशन यादव, का० कुशल सिंह मय जीप सरकारी चालक विशाल चौधरी थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ व निरीक्षक प्रमोद कुमार मय हमराह उ०नि० अजीत सिंह, का० चन्द्रकेश, का० विजय बघेल, का० रवि प्रकाश यादव थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ व विशेष टीम- के प्रभारी निरीक्षक अर्जुन सिंह मय हमराह हे० का० महेश कुमार सिंह, का० बृजेश सिंह, का० सुनील यादव, का० सुनील यादव, का० वीरेन्द्र यादव, चालक का० कुंवर मोहन सिंह द्वारा सर्विलांस टीम- का० संजय सिंह, का० सनोज कुमार के सहयोग से मु०अ०सं०- 231/25 धारा 137(2)/140(2)/103 (1)/238/3(5) बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ में वांछित 25-25 हजार रुपये का इनामिया 02 अभियुक्त 1. कुलदीप वनवासी पुत्र नन्हेलाल निवासी नमक सायर मतुई थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र 22 वर्ष 2. पुनीत पुत्र विनोद कुमार उर्फ कल्लू निवासी नमक सायर मतुई थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र 19 वर्ष को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रांतर्गत उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

-स्पेशल टीम प्रतापगढ़ व प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली देहात टीम द्वारा दिनांक 13.09.2025 को इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस एवं अन्य सूचना/ मुखबिर की सूचना के क्रम में वांछित 25-25 हजार रुपये के 02 इनामिया अभियुक्तों को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रांतर्गत नमक सायर मतुई उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

-पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ महोदय डॉ० अनिल कुमार द्वारा मुकदमें से सम्बन्धित सभी अभियुक्तों 1. कुलदीप वनवासी पुत्र नन्हेलाल निवासी नमक सायर मतुई थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र 22 वर्ष 2. पुनीत

पुत्र विनोद कुमार उर्फ कल्लू निवासी नमक सायर मतुई थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र 19 वर्ष की गिरफ्तारी के लिए 25-25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम:-

1. कुलदीप वनवासी पुत्र नन्हेलाल निवासी नमक सायर मतुई थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र 22 वर्ष
2. पुनीत पुत्र विनोद कुमार उर्फ कल्लू निवासी नमक सायर मतुई थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र 19 वर्ष

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि विकास पटेल जिसको हम लोगो ने मार दिया है वह मेरी भांजी को छेड़ता व परेशान करता था व मोबाइल में मेरी भांजी की फोटो खींच लिया था तो मेरे भांजे नितिन जो बैंगलोर में रहता है ने फोन करके कहा कि मामा आज विकास पटेल का काम लगा दो बहन को बहुत परेशान करता है और नितिन ने निसार को भी फोन करके बताया कि विकास पटेल मेरी बहन को छेड़ता परेशान करता है व फोटो खींच लिया है। वह फोटो डिलीट करवा दो और आज उसका काम लगा दो इसके बाद हम लोग घर आये। वहां पर बाके लाल उर्फ रमेश, विकास सरोज मोटर साइकिल से जमुआरी आये और निसार को बैठा कर बाग में गये। इसके बाद मैं, पुनीत, विकास पटेल को उसके गांव से लेकर मोटर साइकिल पर बैठाकर बाग में आये हम सभी लोग पैदल पैदल सुषमा गैस एजेन्सी से होते हुए उसके पीछे बने इनारा पर आये। साथ में अमन गौतम घाटमपुर का भी था इसके बाद हम लोग इनारे से पहले सभी लोग इकट्ठा हुए इसके बाद हम लोगों ने विकास पटेल के साथ मारपीट किया था व सफेद गमछे से उसके गले में लपेट कर हम लोगो ने दबाया था जब वह मरणासन्न हो गया था। तो हम सभी लोगो ने उसे उठाकर कुएं (इनारा) में फेंक दिया था साथ में उसके मोबाइल भी उसी के साथ कुएं में गिर गया था और जिससे उसकी मृत्यु हो गयी थी। जिसके बाद हम सभी लोग इधर उधर भाग गये थे।

गिरफ्तारी पुलिस टीम-

01- प्रभारी निरीक्षक विजयकान्त सत्यार्थी मय हमराह उ0नि0 अभिषेक वर्मा, उ0नि0 जयकिशन, कां० विश्वदीप, कां० दीपक राजपूत, कां० आशुतोष तिवारी, कां० किशन यादव, कां० कुशाल सिंह मय जीप सरकारी चालक विशाल चौधरी थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़

02- निरीक्षक प्रमोद कुमार मय हमराह उ0नि0 अजीत सिंह, कां० चन्द्रकेश, कां० विजय बघेल, कां० रवि प्रकाश यादव थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़

03- विशेष टीम- के प्रभारी निरीक्षक अर्जुन सिंह मय हमराह हे० कां० महेश कुमार सिंह, कां० बृजेश सिंह, कां० सुनील यादव, कां० सुनील यादव, कां० वीरेन्द्र यादव, चालक कां० कुंवर मोहन सिंह

सर्विलांस टीम- कां० संजय सिंह, कां० सनोज कुमार

थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़

थाना बाघराय पुलिस की बड़ी कार्रवाई – 1 किलो 400 ग्राम नाजायज गांजा बरामद, अभियुक्त गिरफ्तार नशे के कारोबार पर पुलिस का प्रहार – थाना बाघराय पुलिस ने 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार एनडीपीएस एक्ट में कार्यवाही – 1.4 किलो नाजायज गांजा व मोटरसाइकिल बरामद

मुखबिर की सूचना पर पुलिस की दबिश – गांजा के साथ अभियुक्त रंगेहाथ गिरफ्तार
पुलिस अधीक्षक डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में थाना बाघराय पुलिस की प्रभावी कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय तथा क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के कुशल पर्यवेक्षण एवं थाना प्रभारी बाघराय श्री श्रवण कुमार के नेतृत्व में थाना पुलिस टीम द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी/नाजायज कारोबार करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई।

दिनांक 13.09.2025 को उ०नि० देवेन्द्र कुमार पाठक व उ०नि० वीरेन्द्र प्रताप सिंह मय हमराह का० शशांक राय व का० सचिन ठैनुआ द्वारा क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग, तलाश वांछित/वारण्टी के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर पंडित का पुरवा-महराजपुर तिराहे के पास दबिश देकर अभियुक्त योगेश सिंह पुत्र अमर बहादुर सिंह निवासी ग्राम बूढ़ेपुर थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़, उम्र लगभग 25 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

योगेश सिंह पुत्र अमर बहादुर सिंह निवासी ग्राम बूढ़ेपुर थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़, उम्र लगभग 25 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

बरामदगी

अभियुक्त के कब्जे से 1 किलो 400 ग्राम नाजायज सूखा गांजा (काली पन्नी में काले बैग के अंदर रखा हुआ)

एक अदद प्लेटिना मोटरसाइकिल (रंग काला-नीला, रजिस्ट्रेशन नम्बर – UP72BH2499)

उक्त मोटरसाइकिल का कोई वैध प्रपत्र प्रस्तुत न करने पर धारा 207 एमवी एक्ट के अन्तर्गत सीज किया गया।

कानूनी कार्यवाही

अभियुक्त के विरुद्ध थाना बाघराय पर मु०अ०सं० 185/25 धारा 8/20B(ii)(A) एन०डी०पी०एस० एक्ट पंजीकृत किया गया।

पुलिस टीम

उ०नि० देवेन्द्र कुमार पाठक

उ०नि० वीरेन्द्र प्रताप सिंह

का० शशांक राय

का० सचिन ठैनुआ

“जनपद में नशे का कारोबार समाज को खोखला कर रहा है, ऐसे अपराधियों के विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। किसी भी दशा में नशे का धंधा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आमजन से अपील है कि नशा तस्करी या नशा कारोबार की सूचना तत्काल पुलिस को दें, ताकि कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।”

थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार -

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना लालगंज के उ०नि० सुमित कुमार वर्मा मय हमराह का० राहुल यादव व का० विवेक सिंह, का० छत्रपाल, म०का० उर्मिला देवी के द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मु०नं० 950/23, अ०सं० 221/23 धारा 380/457/411 भादवि व परिवार सं० 449/25 धारा 323/504/506/451 भादवि थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 02 वारण्टी अभियुक्त 01- आशीष गौतम पुत्र संजय कुमार गौतम उम्र करीब 18 वर्ष नि०ग्राम जैनपुर थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ 02- शिवलाल वर्मा पुत्र रामप्रसाद नि० ग्राम पूरे पंडित पो० खालसा थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 55 वर्ष को उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- 01- आशीष गौतम पुत्र संजय कुमार गौतम उम्र करीब 18 वर्ष नि०ग्राम जैनपुर थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़
- 02- शिवलाल वर्मा पुत्र रामप्रसाद नि० ग्राम पूरे पंडित पो० खालसा थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 55 वर्ष

पुलिस टीम-

उ०नि० सुमित कुमार वर्मा मय हमराह का० राहुल यादव व का० विवेक सिंह, का० छत्रपाल, म०का० उर्मिला देवी थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़

सरकारी कार्य में बाधा डालने व पुलिस टीम पर हमला करने वाले 05 अभियुक्त गिरफ्तार

घटना में प्रयुक्त 02 डण्डा व 01 हसिया बरामद

थाना आसपुर देवसरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई

पुलिस अधीक्षक डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में कार्रवाई

अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी व क्षेत्राधिकारी पट्टी के कुशल पर्यवेक्षण में सफलता

थाना प्रभारी विजेन्द्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने की प्रभावी कार्यवाही

घटना का विवरण:

थाना आसपुर देवसरा पर नियुक्त उपनिरीक्षक अजय कुमार अंचल मय हमराह का० राकेश सरोज आज दिनांक 13.09.25 को कमला देवी पत्नी स्व० बेचन गौतम निवासी ग्राम रामपुर बावरिहा थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र की जांच करने हेतु ग्राम रामपुर बावरिहा गए हुए थे। विपक्षी गण 1. राम लौट गौतम पुत्र स्व० मोतीलाल, 2. कमलेश गौतम पुत्र राम लौट गौतम, 3. लाला उर्फ रंजीत गौतम पुत्र राम लौट, 4. लक्ष्मीकांत गौतम पुत्र राम लवट, 5. मंतोरा देवी पत्नी राम लवट समस्त निवासीगढ़ रामपुर बावरिया थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ एक राय होकर कार्य सरकार में बाधा उत्पन्न करते हुए। पुलिस वालों को जान से मारने

की नीयत से उनके उपर हमला कर दिये। जिसके सम्बन्ध में थाना आसपुर देवसरा पर मु0अ0स0 269/25 धारा 191(2), 191(3), 190, 109, 121(2) 115(2), 352, 351(3), 324(5), BNS व 7 CLA ACT पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी आसपुर देवसरा श्री विजेन्द्र सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 सचिन कुमार मय हमराह उ0नि0 संजय कुमार, का0 कैलाश यादव, का0 नन्दकिशोर, का0 शिवम सिंह, म0का0 शोभा यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर 05 अभियुक्त/अभियुक्ता 01- रामलवट गौतम पुत्र स्व0 मोतीलाल उम्र करीब 55 वर्ष 02- कमलेश गौतम पुत्र रामलवट गौतम उम्र करीब 35 वर्ष 03- रंजीत उर्फ लल्ला गौतम पुत्र रामलवट गौतम उम्र करीब 22 वर्ष 04- लक्ष्मीकान्त गौतम पुत्र रामलवट गौतम उम्र करीब 19 वर्ष 05- मंतोरा देवी पत्नी रामलवट गौतम उम्र लगभग 53 वर्ष सभी निवासीगण रामपुर बावरिया थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया है

गिरफ्तार अभियुक्तगण

01. रामलवट गौतम पुत्र स्व0 मोतीलाल उम्र करीब 55 वर्ष
02. कमलेश गौतम पुत्र रामलवट गौतम उम्र करीब 35 वर्ष
03. रंजीत उर्फ लल्ला गौतम पुत्र रामलवट गौतम उम्र करीब 22 वर्ष
04. लक्ष्मीकान्त गौतम पुत्र रामलवट गौतम उम्र करीब 19 वर्ष
05. मंतोरा देवी पत्नी रामलवट गौतम उम्र लगभग 53 वर्ष सभी निवासीगण रामपुर बावरिया थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़

बरामदगी

घटना में प्रयुक्त दो अदद डण्डा एवं एक हसिया बरामद।

पुलिस टीम

उ0नि0 सचिन कुमार

उ0नि0 संजय कुमार

का0 कैलाश यादव

का0 नन्दकिशोर

का0 शिवम सिंह

म0का0 शोभा यादव

“जनपद में कानून व्यवस्था के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्य सरकार में बाधा डालने एवं पुलिस बल पर हमला करने जैसे अपराध गंभीर श्रेणी के अपराध हैं। ऐसे मामलों में कठोरतम विधिक

कार्यवाही की जा रही है। आम जनता से अपील है कि किसी भी विवाद की स्थिति में कानून हाथ में न लें, बल्कि पुलिस को सूचना दें। अपराध करने वालों के विरुद्ध हर हाल में कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।”

थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना महेशगंज पुलिस की बड़ी सफलता – छेड़खानी व मारपीट के प्रकरण में वांछित 02 अभियुक्तों गिरफ्तार
थाना महेशगंज पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों को थाना महेशगंज क्षेत्रान्तर्गत परियावां बाजार के पास से गिरफ्तार किया गया-

प्रतापगढ़।

दिनांक 14.08.2025 को वादिनी व वादिनी के पति के साथ आरोपीगणों द्वारा छेड़खानी व मारपीट करना । वादिनी की तहरीर के आधार पर थाना महेशगंज में मु0अ0सं0 174/25 धारा 70 (1)/75/115 (2)/333/352/351 (3) BNS बनाम 03 नामजद अभियुक्त का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय(IPS) व क्षेत्राधिकारी सदर श्री करिश्मा गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी महेशगंज श्री मनोज कुमार तोमर के नेतृत्व में थाना महेशगंज के उ0नि0 अजय कुमार मय हमराह हे0का अमित कुमार,का0 दीपक कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त, पेण्डिंग विवेचना के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 174/25 धारा 70 (1)/75/115 (2)/333/352/351 (3) BNS से संबंधित 02 अभियुक्तों 1-मुन्ना मिश्रा आ पुत्र ओंकारनाथ मिश्र, 2-रज्जन उर्फ राजेन्द्र मिश्रा पुत्र ओंकारनाथ मिश्रा निवासीगण दया का पुरवा सराय खान देव थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ को थाना महेशगंज क्षेत्रान्तर्गत परियावां बाजार के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- 1-मुन्ना मिश्रा आ पुत्र ओंकारनाथ मिश्र निवासी दया का पुरवा सराय खान देव थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।
- 2-रज्जन उर्फ राजेन्द्र मिश्रा पुत्र ओंकारनाथ मिश्रा निवासी दया का पुरवा सराय खान देव थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 अजय कुमार मय हमराह हे0का अमित कुमार,का0 दीपक कुमार थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़।

थाना जेठवारा पुलिस की बड़ी सफलता– दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के प्रकरण में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना जेठवारा पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को थाना जेठवारा क्षेत्रान्तर्गत चौरास रोड पर कब्रिस्तान के पास से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय(IPS) व क्षेत्राधिकारी सदर श्री करिश्मा गुप्ता के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी जेठवारा श्री सुभाष कुमार यादव के नेतृत्व में थाना महेशगंज के उ०नि० वारिज मय हमराह हे०का० अमित यादव, का० सुनील सरोज द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वाछित, वारण्टी अभियुक्त, पेण्डिंग विवेचना के दौरान मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 376 (2)n/504/506 भादवि 5L/6 पाक्सो एक्ट व 3 (1) w, 3 (1) (ध), 3 (2)(v), 3 (2) (v)a Sc/St Act से संबंधित 01 अभियुक्त 1- मो० सारिक पुत्र मो० इदरिस नि० फसियालगढ़, भावनपुर थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ को थाना जेठवारा क्षेत्रान्तर्गत चौरास रोड पर कब्रिस्तान के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1-मो० सारिक पुत्र मो० इदरिस नि० फसियालगढ़, भावनपुर थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

उ०नि० वारिज मय हमराह हे०का० अमित यादव, का० सुनील सरोज थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई – थाना बाघराय पुलिस ने डकैती व मारपीट की घटना से संबंधित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

थाना बाघराय पुलिस ने डकैती व मारपीट की घटना में शामिल 01 अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत हीरागंज रोड पर एसबीएम भट्टा के पास से किया गिरफ्तार-

घटना का विवरण-

थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत कुण्डा मोड़ बिहार,वहद ग्राम टेकीपट्टी में दिनांक- 31.07.2025 को आरोपीगणों द्वारा वादी के भाई व परिजनों के साथ मारपीट पर पैसे छीन कर भाग जाने के प्रकरण में थाना बाघराय में मु०अ०स० 153/25 धारा 191 (2), 191 (3), 190, 115 (2), 351 (3), 310 (2), 317 (3) बीएनएस बनाम 05 व्यक्ति नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही थी। इसी क्रम में दिनांक 14.09.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय(IPS) व क्षेत्राधिकारी सदर श्री करिश्मा गुप्ता के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष बाघराय श्री श्रवण कुमार के नेतृत्व में उ०नि० अमित द्विवेदी मय हमराह का० अंशु प्रजापति व का० अतुल कुमार द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना बाघराय के मु०अ०स० 153/25 धारा 191 (2), 191 (3), 190, 115 (2), 351 (3), 310 (2), 317 (3) बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्त वीरेन्द्र सिंह उर्फ दरोगा उम्र 34 वर्ष पुत्र दिलबहार सिंह निवासी कटरा देवरपट्टी थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ को थाना

बाघराय के अभियोग से सम्बन्धित डकैती के 620 रुपये बरामद किया गया व थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत हीरागंज रोड पर एसबीएम भट्टा के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01- वीरेन्द्र सिंह उर्फ दरोगा उम्र 34 वर्ष पुत्र दिलबहार सिंह निवासी कटरा देवरपट्टी थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0-97/15 धारा 147,148,323,354ख,394,427,452,504,506 भादवि थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ ।

2-मु0अ0सं0 153/25 धारा 191 (2), 191 (3), 190, 115 (2), 351 (3), 310 (2), 317 (3) बीएनएस थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ ।

बरामदगी-

01- डकैती के 620 रुपये बरामद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 अमित द्विवेदी मय हमराह का0 अंशु प्रजापति व का0 अतुल कुमार थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ ।